**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**दिनांक–03-12-2023**

**दिनांक 02/03-12-2023 को रात्रि थाना गोसाईगंज 01, हसनगंज 01, जानकीपुरम 01, पीजीआई 01, सैरपुर 02, तालकटोरा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**भा0द0वि0**

**थाना आशियाना**–दिनांक 03.12.2023 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुभाष बहेलिया पुत्र राम स्वरूप निवासी–गढ़ी मोहल्ला, थाना बिजनौर लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि वादी का भाई सुमेर बहेलिया उम्र करीब 38 वर्ष जो कि आज दिनांक 03.12.2023 को समय करीब 05.30 बजे प्रातः चारबाग टैक्सी से जा रहा था कि रास्ते में जागीर शहीद पथ अंडरपास के नीचे सामने से आ रहे एक डम्पर चालक द्वारा डम्पर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर उक्त टैक्सी में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वादी के भाई सुमेर बहेलिया उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गयी और टैक्सी में बैठे तीन अन्य लोग व टैक्सी का ड्राइवर गम्भीर रूप से घायल हो गये, जिन्हे इलाज के लिये मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 491/2023 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानकि कार्यवाही की जा रही है।**

**थाना इन्दिरानगर**–दिनांक 03.12.2023 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती ज्योति मौर्या पत्नी श्री मयंक सिंह रावत निवासी–म0नं0 26, वरदानी विहार, फेस–3 थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 01.12.2023 को वादिनी अपने ऑफिस हाईकोर्ट लखनऊ के लिए गयी थी, जहां से वादिनी अपने मायके चली गयी। दिनांक 02.12.2023 को समय करीब 19.30 बजे वादिनी अपने उक्त आवास पर वापस आयी तो देखा कि वादिनी के उक्त घर का ताला टूटा हुआ है और घर के अन्दर बेडरूम के पास रखे लॉकर से सोने चांदी व हीरे के कीमती जेवरात को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 410/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

**थाना गोमतीनगर**–दिनांक 03.12.2023 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती महरजहॉं पत्नी श्री मोहम्मद अहमद निवासी–भीमनगर, गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि वादिनी की पुत्री मरियम उम्र करीब 21 वर्ष का विवाह करीब डेढ़ वर्ष पूर्व फरहान पुत्र अयाज अहमद निवासी–उजरियांव गोमतीनगर लखनऊ के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही वादिनी की पुत्री ने बताया कि उसके पति फरहान, ससुर अयाज अहमद व अहाज अहमद की पत्नी, वादिनी की पुत्री की ननद फिजा, चचिया ससुर मुन्ने आये दिन दहेज व घर के हिस्से के लिए गाली गलौज व मारपीट करने लगे व प्रताड़ित करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। दिनांक 02.12.2023 को समय करीब 09.30 रात्रि को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा वादिनी को सूचना मिली कि वादिनी की पुत्री मरियम उपरोक्त को चोट लगी है और वह लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती है। इस सूचना पर जब वादिनी अपने परिवार के साथ लोहिया हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर वादिनी की पुत्री मरियम उपरोक्त मृत अवस्था में मिली। वादिनी को पूरा विश्वास है कि वादिनी की पुत्री के ससुरालीजन अयाज अहमद व उसकी पत्नी, फरहान, रेशम, फिजा व चाचा मुन्ने इन सभी लोगों ने मिलकर दहेज व हिस्से के लालच में वादिनी की पुत्री की हत्या कर दिया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 323/504/506/498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**